न्यायालय उप जिला कलक्टर हिण्डौन, जिला करौली

पीठासीन अधिकारी सुरेश कुमार बुनकर आर.ए.एस

ं0 12/2015 तारीख रजू:– 24.02.2015

काडू आदि बनाम पन्ना बगै0

प्रार्थनापत्र अस्थाई निषेधाज्ञा

निर्णय

.09.2019 वाकेयात इस प्रकार है कि सायलान की ओर से एक प्रार्थनापत्र लाफ गैरसायल अस्थाई निषेधाज्ञा पेश कर बताया गया है कि आराजी खसरा नं. 53 रकवा 15 विस्वा गैर मु. चाहा वाके ग्राम झारेडा मे स्थित है। जिसमें साविक राजी में हिस्सा 2/7 है तथा दावे में प्रतिवादी सं. 1 ता 3 का हिस्सा 1/7 एवं क बुर्जुगान चिरंजी के नाम दर्ज है किसी प्रकार मूल दावे के प्रतिवादी नं. 6 का स्सा 1/7 है। जो उनके मृतक पिता धर्मसिंह व जयसिंह मूल वाद के प्रतिवादी 6 के नान दर्ज है। प्रतिवादी नं. 7 बाबू का 1/8 वा हिस्सा जो उसके मृतक ता राजजीलाल के नाम दर्ज है। प्रतिवादी नं. 8 ता 11 का 1/7 जो उनके र्जुगान तेजू व रामपाल के नाम साविक रिकॉर्ड में दर्ज है। प्रतिवादी नं. 12 ता 15 1/7 वा हिस्सा जो उनके बुर्जुगान रतनलाल के नाम दर्ज है। मुताबिक साविक कॉर्ड के अनुसार गैरसायल नं. 1 ता 4 उक्त भूमि पर किसी प्रकार का हिस्सा व ब्जा नही है। भू–प्रवंध विभाग के कर्मचारीयो ने साविक खसरा नं. 2953 के नये सरा नं. 3296 रकवा 1 ऐयर व 3297 रकवा 20 ऐयर बनाये गये है लेकिन खसरा 3297 में 2 विस्वा रकवा साविक खसरा नं. 2959 का मिला दिया है तथा सायल 1 का हिस्सा हजफ कर दिया गया है गैरसायल नं. 1 ता 4 का नाम गलत रीके से जोडा गया है। वाकिया दिनांक 20.01.2015 का है उक्त आराजी में वर्णित ाह से सायलान सिचाई करने के लिये गये तो गैरसायल नं. 1 ता 4 ने मना कर दया गया ओर नाराज हो गये ओर कहा कि भूमि हमारे नाम की है। इस प्रकार से ू–प्रबंध विभाग द्वारा गलत तरीके से गैरसायलान का अपने नाम दर्ज करा कर उस पर विधुत कनेक्शन ले कर चाहा में पानी को खतम करते हुए सायलान को दखल करने की धमकी दी गई है। अंत में प्रार्थनापत्र स्वीकार करने का निवेदन किया है।

प्रार्थनापत्र दर्ज पंजिका कर गैरसायलान को जरिये नोटिस तलव किया गया जिसमे गैरसायलान जरिये वकालान्तन उपस्थित आये ओर जवाव प्रार्थनापत्र पेश

उपखण्ड अधिकारी
हिण्डौन

Scanned by CamScanner

ा गया। अपने जवाव प्रार्थनापत्र में, प्रार्थनापत्र में वर्णित मदो को नकारते हुए न अंकित किया है कि विवादित आराजी में गैरसायल नं. 1 ता 4 की खातेदारी से अनुसार रही है। तथा खसरा नं. 1953 रकवा 15 विस्वा से मोजुदा खसरा नं. 96 रकवा 1 ऐयर 3291 रकवा 20 ऐयर बनना सम्भव नही है क्योकि 15 विस्वा ऐयर 19 वनते है 2 ऐयर रकवा बढाया गया है जो अन्य किसी आराजी का हैं ज्ञान क्षेत्रफल के अनुसार 2959 की जमीन 2 विस्वा इन खसरा नम्बरो में सामिल गई है जो रही है। सायलान का इस भूमि से कोई सम्बंध नही है। दोनो चाहो पानी सुख गया है। सायल के पक्ष में किसी प्रकार का प्राईमाफेसी सुविधा का तुलन साविक नही है वल्कि गैरसायलान खातेदार कास्तकार है खातेदार के लाफ कोई भी व्यक्ति स्थगन प्राप्त करने का अधिकारी नही है। भूमि पर यलान को कोई कब्जा नही है। धारा 63 के प्रावधानो के तहत खातेदारी समाप्त रने का अधिकार नही रखता है। अन्त मे सायल का प्रार्थनापत्र खारिज करने का वेदन किया है।

उभयपक्षकारान अभिभाषकगणो की बहस सुनी गई तथा पत्रावली का वलोकन किया गया।

वकील सायल ने अपनी बहस कथन में अपील मीमो को दोहराते हुए कथन कहा की साविक खसरा नं. 2953 रकवा रकवा 15 विस्वा गैर मु0 चाह है। जसमे सायलान का 2/7 वा हिस्सा तथा प्रतिवादी 1 ता 3 का 1/7 प्रतिवादी नं. का 1/7 प्रतिवादी नं. 7 का 1/8 प्रतिवादी नं. 8 ता 11 का 1/7 प्रतिवादी नं. 2 से 15 का 1/7 हिस्सा है। प्रतिवादी संख्या 1 ता 4 का कोई हिस्सा नही है। 1953 का नया खसरा नं. 3296,3297, रकवा 1 ऐयर व 20 ऐयर यानि कुल 21 ऐयर बनाये गये है किन्तु खसरा नं. 3297 में 2 विस्वा अव अतिरिक्त भूमि लगा दी है। भूमि में से काडू, रतन का हिस्सा तथा नाम भी खतम कर दिया गया है। ओर गैरसायल नं. 1 ता 4 का गलत नाम जोड दिया गया है मौके पर सायल का कब्जा है। गैरसायलान द्वारा दिनांक 20.01.2015 को कुऐ पर कब्जा करने की कोशिष की है। अन्त में प्रार्थनापत्र स्वीकार फरमाया जावे।

वकील गैरसायलान ने अपने बहस कथन में कहा है कि हिस्सेदारी गलत दर्ज की गई है। साविक खसरा नं. 2953 के नवीन खसरा नं. 3296,3297 बनाये गये है जिनका मिलान क्षेत्रफल गलत बनाया गया है दोनो आराजी गैर मु. चाह है। विधुत

उपखण्ड अधिकारी
हिण्डौन

Scanned by CamScanner

कनेक्शन का अनुतोस गलत है। भूमि में हमारी खातेदारी है अन्त में प्रार्थनापत्र खारिज करने का निवेदन किया है।

हमने अभिभाषकगणो की बहस पर मनन करने एवं पत्रावली में उपलब्ध रिकॉर्ड का अवलोकन करने पर पाया गया कि विवादित आराजी खसरा नं. 2953 रकवा 15 बिस्वा राजस्व रिकॉर्ड में प्रार्थनापत्र के मद नं. 3 के अनुसार खातेदारों के नाम अंकित थी जहा पर वकील सायल का कथन था साविक रिकार्ड एवं हाल रिकार्ड के मुताविक रकवा में सायल नं. 1 का नाम इजाफा कर दिया गया है। तथा रकवा भी अधिक दर्ज है वहा पर मिलान क्षेत्रफल के अनुसार साविक खसरा नं. 2953 के रकवे के साथ 2959 का रकवा भी सामिल किया हुआ है। 15 बिस्वा का रकवा गणना के अनुसार 19 ऐयर ही बनना चाहिए वकील गैरसायल का कथन है कि साविक रिकार्ड के मुताविक रिकार्ड में हिस्सेदारी गलत दर्ज की गई है वहा पर यह है कि जब दावा घोषणा खातेदारी एवं दुरूस्ती का है वहा पर पक्षकारान दोराने दावा अपने अपने साक्ष्य में साबित करने में स्वतंत्र है किन्तु वहा पर मुताबिक राजस्व रिकार्ड के अनुसार सायलान का प्राईमाफेसी एवं सुविधा का सन्तुलन साबित हो रहा है। एवं गैरसायलान अपने नाम भूमि होने का फायदा उठाकर खुर्दबुर्द करदेगा तो सायलान को अपूर्तनिय क्षति होगी और पक्षकारान के मध्य अनावश्यक विवाद पैदा हो जावेगें तो ऐसी स्थिति में उन्हे पाबंद करना उचित समझते है।

अतः सायल का प्रार्थनापत्र स्वीकार किया जाता है। तथा गैरसायलान को ताफैसला दावा तक अस्थाई निषेधाज्ञा से पाबंद किया जाता है कि आराजी खसरा नं. 3296 व 3297 कुल किता 2 कुल रकवा 0.21 है0 में स्थित चाह चाक ग्राम झारेडा तहसील हिण्डौन से सिचाई करने से नही रोकेगे उनके हिस्से में सान्तिपूर्वक उपयोग उपभोग में बाधा नही करेगे ना ही किसी प्रकार का विद्युत कनेक्शन लेगे। गैरसायलान ऐसा कोई कृत्य नही करेगे जिससे सायल के हक हकूको पर विपरीत प्रभाव पडता हो। पत्रावली फैसल सुमार होकर बाद तकमील मूल दावे में हमपीता हो।

निर्णय आज दिनांक २८ .09.2019 को लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

उप खण्ड अधिकारी
उपखण्ड अधिकारी
हिण्डौन

Scanned by CamScanner